कार्यालयः महानिदेशक, राज्य परिवहन, हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में,

1. सभी महाप्रबन्धक, (नाम से)
   हरियाणा राज्य परिवहन।
2. उडनदस्ता अधिकारी, (नाम से)
   आई0एस0बी0टी0–दिल्ली

क्रमांक 6019-42 /टी0आई–I दिनांक 25-04-2014

विषयः **बसों की चैकिंग के सम्बन्ध में हिदायतों बारे।**

उपरोक्त विषय पर यह देखने में आया है कि बसों की चैकिंग करने के मामले में अलग–2 डिपो में भिन्नता है। चैकिंग के उपरान्त की जाने वाली रिपोर्ट व कर्मचारियों के विरूद्ध की जाने वाली विभागीय कार्यवाही में भी एकरूपता नहीं है। उपरोक्त की वजह से दोषी कर्मचारियों को उचित सजा नहीं मिल पाती है जिससे बसों में बिना टिकट यात्रा करने व कर्मचारियों के द्वारा पैसे लेकर टिकट न देने की प्रवृति को बढावा मिलता है। मामले का पूर्ण रूप से अध्ययन करने उपरान्त उपरोक्त बारे निम्नलिखित हिदायतें जारी की जाती हैः–

1. सभी महाप्रबन्धकों व यातायात प्रबन्धकों के द्वारा नियमित रूप से चैकिंग की जाएगी।
2. महाप्रबन्धक व यातायात प्रबन्धक के द्वारा प्रत्येक मास कम से कम दो बार अन्तर्राज्जीय मार्गों पर हरियाणा से बाहर चैकिंग की जाएगी।
3. हरियाणा राज्य के अन्दर स्थित मार्गों पर सभी महाप्रबन्धक व यातायात प्रबन्धक सामान्यतया अपने जिले या उसके साथ लगते क्षेत्र में ही चैकिंग करेंगे।
4. सभी महाप्रबन्धक प्रत्येक माह कम से कम 500 कि0मी0 व सभी यातायात प्रबन्धक कम से कम 750 कि0मी0 बस में यात्रा करेंगे जिस दौरान वह चालक/परिचालक का यात्रियों के साथ व्यवहार, बस की सफाई, बस का सभी स्टापों पर रूकना, अनाधिकृत जगहों पर बस रोकना, परिचालक के द्वारा यात्रियों को टिकट जारी करना, यात्रियों के सुझाव आदि की जानकारी लेंगें।
5. चैकिंग की गई सभी बसों में चैकिंग उपरान्त वे–बिल पर चैकिंग पार्टी के ईन्चार्ज द्वारा स्पष्ट टिप्पणी लिखी जाएगी। चैकिंग निरीक्षक अपने हस्ताक्षर के अतिरिक्त अपनी स्टैम्प भी लगाएगें।
6. महाप्रबन्धक/यातायात प्रबन्धक के द्वारा चैक की गई बसों की रिपोर्ट सम्बन्धित महाप्रबन्धक/यातायात प्रबन्धक के द्वारा की जाएगी जिस पर चैकिंग पार्टी के अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर भी होंगे।
7. महाप्रबन्धक व यातायात प्रबन्धक के अतिरिक्त अन्य चैकिंग पार्टियों (एस0एस0/सी0आई0/इन्स्पेक्टर/सब इन्स्पेक्टर) की ड्यूटी का मासिक रोस्टर यातायात प्रबन्धक के द्वारा प्रत्येक माह के शुरू होने से पूर्व तैयार किया जाएगा जिसका अनुमोदन महाप्रबन्धक से करवाया जाएगा।

8. इन्स्पेक्टरों/सब इन्स्पेक्टरों की चैकिंग डयूटी लगाते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि पार्टी के सदस्य समय–समय पर बदलते रहें। इसके अतिरिक्त चैकिंग के लिए उन्हे मार्ग भी प्रतिदिन बदल–2 कर सुबह अलाट किए जाएंगे ताकि चैकिंग में गोपनीयता रहे।

9. डिपो में उपलब्ध कार व जीपों का प्रयोग चैकिंग के लिए किया जाएगा तथा लोगबुक चैकिंग पार्टी के ईन्चार्ज द्वारा भरी जाएगी। सामान्यतया महाप्रबन्धक कार व यातायात प्रबन्धक जीप का प्रयोग करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा कार का अधिग्रहण करने की अवस्था में महाप्रबन्धक जीप का इस्तेमाल करेंगे। आवश्यकता व उपलब्धता अनुसार अन्य अधिकारी (एस0एस0/सी0आई0/इन्स्पेक्टर/एस0आई0)जीप का प्रयोग करेंगे। महाप्रबन्धक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी गाडियों का इस्तेमाल सरकारी कार्य के लिए व सही तौर से किया जा रहा है।

10. महाप्रबन्धक चैकिंग किए जा रहे मार्गों तथा चैकिंग के दौरान अनियमितता करने के दोषी कर्मचारियों की रूट रिसीट पर लगातार नजर रखेगें तथा आवश्यक कदम उठाएंगे।

11. चालक/परिचालक का दोष पाए जाने पर तैयार की जाने वाली रिपोर्ट विस्तृत होगी। गवाह के तौर पर घटना के समय मौजूद अन्य कर्मचारियों तथा यथा सम्भव अन्य व्यक्तियों को रिपोर्ट में सम्मलित किया जाएगा। रिपोर्ट में अनपन्च टिकटों का विवरण होगा। परिचालक के द्वारा यात्रियों से पैसे लेकर टिकट नहीं दिऐ जाने के केसों में कंडक्टर के पास उपलब्ध कैश को चैक करने उपरान्त उसका विवरण भी रिपोर्ट में दिया जाएगा।

12. बिना टिकट यात्रा करने के ऐसे मामलों जिन में स्पष्ट तौर पर चालक/परिचालक की संलिप्तता साबित नहीं होती है, में सम्बन्धित कर्मचारियों के विरूद्ध गबन की रिपोर्ट नहीं की जाएगी बल्कि उनके विरूद्ध डयूटी में लापरवाही बरतने व सरकार को वित्तिय हानि पहुंचाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। कार्यालय में रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी कर्मचारी के विरूद्ध निम्न अनुसार कार्रवाई की जायेगी:–

क) नियमित कर्मचारी के विरूद्ध हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड एवं अपील) नियम–1987 के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में पहले पांच केसों में नियम–8 के अर्न्तगत कार्रवाई की जाएगी तथा उसके बाद के केसों में नियम–7 में कार्रवाई की जाएगी। बाद वाले केस में पिछले केस में दी गई सजा से कम सजा नहीं दी जाएगी। ऐसे मामलों में दी गई सजा के आधार पर कर्मचारी की ए0सी0आर0 में उसकी ईमानदारी बारे विपरीत टिप्पणी नहीं की जाएगी।

ख) अनुबन्ध पर लगे ड्राईवरों/कंडक्टरों के विरूद्ध कार्रवाई करने से पूर्व उन्हें विस्तृत कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। कर्मचारी का जवाब लेने उपरान्त मामले में इन्कवायरी करवाई जाएगी जिसमें कर्मचारी को सुनवाई का मौका दिया जायेगा। सजा देने से पूर्व कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निजि सुनवाई का मोका दिया जायेगा । दोषी साबित होने पर ऐसे कर्मचारियों को वित्तिय सजा (पैनलटी) दी जायेगी जो बिना टिकट वाली राशि का पचास गुणा होगी लेकिन यह कम से कम 2000रू0 होगी। ऐसे मामलों में

दी गई सजा के आधार पर अनुबन्ध कर्मचारी की ए0सी0आर0 में उसकी ईमानदारी बारे विपरीत टिप्पणी नहीं की जाएगी।

13. परिचालक के द्वारा यात्रियों से पैसे लेकर टिकट नहीं दिया जाना तथा पुरानी टिकटों को पुनः जारी करना एक गम्भीर मामला है। ऐसे मामलों में कर्मचारी के विरूद्ध सरकारी पैसे का गबन करने, धोखाधडी करने व ड्यूटी में कोताही बरतने की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जिसमें सम्बन्धित यात्रियों व यथा सम्भव मौके के गवाहों को सम्मिलित किया जाएगा। कार्यालय में रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी कर्मचारी के विरूद्ध निम्न अनुसार कार्रवाई की जायेगी:–

क) नियमित कर्मचारी के विरूद्ध हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड एवं अपील) नियम–1987 के नियम–7 अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा दोष साबित होने पर मुख्य सजा (मेजर पैनलटी) लगाई जाएगी। बाद वाले केस में पिछले केस में दी गई सजा से कम सजा नहीं दी जाएगी। ऐसे मामलों में दी गई सजा के आधार पर कर्मचारी की ए0सी0आर0 में उसकी ईमानदारी बारे विपरीत टिप्पणी दर्ज की जाएगी। ईमानदारी बारे विपरीत टिप्पणी उस वर्ष की ए0सी0आर0 में दर्ज की जाएगी जिस वर्ष में कर्मचारी के विरूद्ध सजा का निर्णय किया गया हो।

ख) अनुबन्ध पर लगे ड्राईवरों/कंडक्टरों के विरूद्ध कार्रवाई करने से पूर्व उन्हें विस्तृत कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। कर्मचारी का जवाब लेने उपरान्त मामले में इन्कवायरी करवाई जाएगी जिसमें कर्मचारी को सुनवाई का मौका दिया जायेगा। सजा देने से पूर्व कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निजि सुनवाई का मोका दिया जायेगा । दोषी साबित होने पर ऐसे कर्मचारियों का अनुबन्ध समाप्त किया जायेगा।

14. नियमित कर्मचारी के विरूद्ध किसी भी अवस्था में हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड एवं अपील) नियम 1987 के अन्तर्गत चार्जशीट दिए बगैर कर्मचारी को सजा नहीं दी जाएगी। साधारण कारण बताओ नोटिस देकर केस का निर्णय नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिना चार्जशीट दिये कर्मचारी के द्वारा जुर्माना लगाकर केस का निपटारा करने की प्रार्थना के आधार पर केस का निर्णय नहीं किया जाएगा।

15. नियमित कर्मचारी का दोष साबित होने पर केवल वही सजा दी जाएगी जो हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड एवं अपील) नियम 1987 के नियम 4 में दर्ज हैं। कर्मचारी पर जुर्माना करना उक्त नियम 4 के अनुरूप नहीं है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी से रिकवरी करने के आदेश तभी पारित किये जायेगें जब चार्जशीट में सरकारी खजाने को हानि पहुंचाने का आरोप लगाया गया हो।

16. परिचालक के विरूद्ध जब तक कोई केस लम्बित रहेगा तब तक उसे लांग रूट पर नहीं लगाया जाएगा।

17. मार्ग पर परिचालक के वे–बिल पर किसी अधिकारी द्वारा दी गई टिप्पणी बुकिंग ब्रांच ईन्चार्ज द्वारा तुरन्त अपनी टिप्पणी के साथ यातायात प्रबन्धक को प्रस्तुत की जाऐगी ताकि रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बगैर आगामी जरूरी कार्रवाई आरम्भ की जा सके।

18. यातायात प्रबन्धक व महाप्रबन्धक प्रतिदिन कुछ वे–बिल स्वंय भी निरीक्षण करेंगे ताकि बस सेवा के बारे में जानकारी मिल सके।

19. महाप्रबन्धक के द्वारा मासिक टूर डायरी निर्धारित प्रोफार्मा में मुख्यालय को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अनुमोदन हेतू प्रेषित की जाएगी।

20. यातायात प्रबन्धक के द्वारा भी मासिक टूर डायरी उसी निर्धारित प्रोफार्मा में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्रस्तुत की जाएगी जो महाप्रबन्धक के द्वारा अनुमोदित की जाएगी। अनुमोदन उपरान्त एक प्रति महाप्रबन्धक के द्वारा मुख्यालय को सूचनार्थ प्रेषित की जाएगी।

21. महाप्रबन्धक के द्वारा प्रत्येक मास सरकारी गाडी का इस्तेमाल अधिकतम 4500 कि0मी0 व यातायात प्रबन्धक के द्वारा प्रत्येक मास अधिकतम 4500 कि0मी0 होगा। इससे अधिक कि0मी0 के लिए मासिक टूर अनुमोदित नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त हिदायतों की पालना दृढता से की जाये। सभी सम्बन्धित को पालना हेतू नोट करवाऐं।

25/4/14

कृतेः महानिदेशक राज्य परिवहन
हरियाणा, चण्डीगढ
25/4/14